

SHORT TERM TENDER NOTICE

Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation invites sealed offers from professionals for preparing tableau on turnkey basis depicting the NAVACHAR undertaken by the State. The scope of work and other details are mentioned in the Tender Document. The bid schedule is as under:-

- a. Cost of Tender Document Rs. 500/-
- b. Sale of Tender Document: 25.11.2011 to 05.12.2011 (10 a.m. to 5.00 p.m.) on working days
- c. Submission of Tender Document: Till 07.12.2011, 3.00 p.m.
- d. Opening of Bid: 07.12.2011 at 4.00 p.m.

Tender document can be downloaded from www.mpstdc.com (cost of tender will be payable through DD with offer) or purchased from our office.

**MANAGING DIRECTOR
MADHYA PRADESH STATE TOURISM
DEVELOPMENT CORPORATION
Paryatan Bhawan, Bhadbhada Road, Bhopal
Tel.: 0755-4027100, Fax: 0755-2774289**

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम,
पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल

“तकनीकी निविदा प्रपत्र”

लिफाफा क्रमांक -1 हेतु

विषय:- गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2012 को लाल परेड मैदान भोपाल में पर्यटन विभाग झांकी की प्रस्तुति हेतु।

1. निविदा क्रमांक :-रसीद क्रमांकदिनांक
2. निविदाकर्ता का नाम :-
3. निविदाकर्ता का पता :-.....
4. निविदाकर्ता का पेन/टिन नम्बर :-
5. अनुभव प्रमाण पत्रों का विवरण :-
6. अन्य विवरण :-

संलग्न :- निविदा की शर्तें एवं परिकल्पना।

आवेदक के हस्ताक्षर
(आवेदक का नाम)

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम,
पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल

“वित्तीय प्रस्ताव निविद प्रपत्र”

लिफाफा क्रमांक -2 हेतु

विषय:- गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2012 को लाल परेड मैदान भोपाल में पर्यटन विभाग झांकी की प्रस्तुति हेतु।

1. निविदा क्रमांक :-रसीद क्रमांकदिनांक
2. निविदाकर्ता का नाम :-
3. निविदाकर्ता का पता :-.....
4. निविदाकर्ता का पेन/टिन नम्बर :-
5. अनुभव प्रमाण पत्रों का विवरण :-
6. अन्य विवरण :-

आवेदक के हस्ताक्षर
(आवेदक का नाम)

(मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम)
पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल
विभागीय झॉकी निर्माण संबंधी शर्तें – 2012

मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से गणतंत्र दिवस समारोह 2012 के उपलक्ष्य में भोपाल के लाल परेड मैदान पर प्रदर्शन हेतु निर्धारित विषय पर आधारित विभागीय चल झॉकी के सम्पूर्ण निर्माण, उसकी सजावट एवं प्रदर्शन के लिए झॉकी निर्माण से संबंधित शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. निविदा प्रस्तुतकर्ता को अपनी निविदा के साथ प्रतिभूति के बतौर 10,000/- (दस हजार रुपये) मात्र का अरेखांकित डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का "प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल" के हित में संलग्न करना अनिवार्य होगा। यह विज्ञापन प्रकाशन के बाद की तारीख का होना चाहिये। इसके बिना निविदा विचारार्थ स्वीकार नहीं की जावेगी। असफल निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को उनकी प्रतिभूति राशि का ड्राफ्ट/चैक यथाशीघ्र वापस कर दिया जायेगा।
2. झॉकी निर्माण एवं सजावट का समस्त कार्य ठेके पर होगा अर्थात् झॉकी-निर्माण एवं प्रदर्शन के पश्चात् संबंधित झॉकी निर्माता अपना सामान वापस ले जायेगा। सामान की सुरक्षा के लिये विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी।
3. निविदा प्रस्तुतकर्ता के पास शासकीय विभाग अथवा उपक्रम की झॉकी के निर्माण का कम से कम तीन वर्षों का निरंतर अनुभव होना आवश्यक है। इसके प्रमाण स्वरूप व्यक्तिगत तीन वर्षों के अनुभव के प्रमाण पत्रों की वर्षवार सूची बनाकर फोटो प्रतियाँ अपनी निविदा के साथ प्रस्तुत करेंगे।
4. जिन कलाकारों/शिल्पकारों द्वारा झॉकी के निर्माण व उसकी सजावट का निर्देशन एवं मार्गदर्शन किया जायेगा, निविदा प्रस्तुतकर्ता अपनी निविदा के साथ उनका सहमति पत्र एवं उनके द्वारा इस तरह के कार्य के अनुभव बाबत् प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेंगे।
5. निर्धारित समय के पश्चात् बिना प्रतिभूति राशि के अस्पष्ट, अपूर्ण अनसील्ड एवं काट-छॉट वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. कोई भी सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
7. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने और सभी निविदाओं को अस्वीकृत करने के संपूर्ण अधिकार "प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल" के पास सुरक्षित रहेंगे। इस मामले में प्रबंध निदेशक, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल का निर्णय अंतिम एवं सर्वसंबंधित पक्षों के लिये मान्य एवं बंधनकारी होगा।
8. झॉकी के लिये उपयुक्त/सही ट्रेक्टर/ट्रॉली, चालक डीजल/पेट्रोल, बेट्री आदि का इंतजाम झॉकी निर्माता को स्वयं करना होगा। झॉकीनिर्माणकर्ता ही जीवंत दृश्यों

हेतु कलकार/सहभागी व्यक्तियों की व्यवस्थाकरेगा। झॉकी प्रदर्शन की समाप्ति तक ट्रेक्टर-ट्राली को कार्यशील और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निर्माता की होगी। झॉकी प्रदर्शन के प्रारम्भ से समाप्ति तक निर्माता अथवा सक्षम/जिम्मेदार प्रतिनिधि को आवश्यक साधनों और कारीगर सहित झॉकी के साथ-अनिवार्यतः रहना होगा।

9. झॉकी निर्माण हेतु ट्राली पर मजबूत निर्माण कर इतना एक्सटेन्शन करना होगा कि झॉकी के पूर्ण दृश्य स्पष्ट और सही ढंग से समाहित हो सकें।
10. झॉकी का निर्माण कार्य (सजावट एवं प्रदर्शन सहित) विभाग की अनुमोदित डिजाइन और कार्य-योजना के अनुसार लाल परेड मैदान के झॉकी निर्माण स्थल पर ही संस्कृति विभाग और निर्धारित तिथि तक हर दृष्टि से पूर्ण करना होगा, जिससे कि राज्य स्तरीय समिति द्वारा निरीक्षण किया जा सकें।
11. विषय वस्तु को उभारने की दृष्टि से निर्माण/सजावट के दौरान झॉकी में कोई आंशिक परिवर्तन करना आवश्यक हुआ, तो उसके संबंध में कार्यालय के प्राधिकारी द्वारा यथा समय झॉकी निर्माता को मौखिक रूप से सूचित किया जायेगा। इस मामले में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
12. झॉकी का कोई भाग विभाग की अपेक्षा/डिजाइन/कार्य योजना के अनुसार न होने पर निर्माता को सही और संतोषजनक नया निर्माण/सजावट कार्य अपने खर्च पर करना होगा। यह कार्य झॉकी निर्माण के मूल कार्य का ही अंग माना जावेगा।
13. झॉकी निर्माण एवं उसकी सजावट के उपयोग में लाये गये सामान की गुणवत्ता व मजबूती में किसी प्रकार की कमी होने पर झॉकी निर्माण हेतु विभाग द्वारा आदेश निरस्त कर झॉकी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जायेगी एवं उसकी प्रतिभूति राशि राजसात कर उसे कोई भुगतान भी नहीं किया जायेगा।
14. झॉकी निर्माण के दौरान विभाग के सक्षम अधिकारी और मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. झॉकी निर्माण के लिये निर्माता को कोई अग्रिम राशि इस कार्यालय द्वारा नहीं दी जायेगी। झॉकी के निर्माण के लिये देय राशि का भुगतान संतोषजनक कार्य उपरांत तीन प्रतियों में देयक प्राप्त होने पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जावेगा।
16. विभागीय झॉकी निर्माण और उसकी सजावट के लिये प्राप्त निविदाओं पर निर्णय निम्नांकित क्रमानुसार मापदण्डों के आधार पर होगा :-
 - (एक) झॉकी निर्माण से जुड़ने वाले कलाकारों/शिल्पकारों की प्रतिष्ठा एवं उनका पूर्वानुभव।
 - (दो) निविदा में दर्शाई राशि
 - (तीन) निविदाकार को अपेक्षित जानकारियाँ दो लिफाफों में पृथक-पृथक देना होगी, जिसमें कंडिका क्रमांक 1,3,4,16 (एक) की जानकारी एक लिफाफे में तथा वित्तीय प्रस्ताव की जानकारी दूसरे लिफाफे में प्रस्तुत करना होगी।
17. निविदा प्रस्तुतकर्ता को इन शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर "सहमत हूँ" शब्द अंकित करते हुए अपने प्रतिष्ठान की सील सहित हस्ताक्षर करके ये शर्तें अपनी

निविदा के साथ संलग्न करना होगी अन्यथा यह माना जायेगा कि उन्हें उपरोक्त शर्तें स्वीकार नहीं हैं एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

17. यह आवश्यक है कि निविदाकर्त्ता कम से कम दो पुरस्कार विगत 5 वर्षों में प्राप्त हो। जिसमें कम से कम प्रथम पुरस्कार हो। संबंधित झॉकी वाले विभाग का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाये।

प्रबन्ध निदेशक
मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम

झांकी की परिकल्पना
पर्यटन विभाग
26 जनवरी 2012
“नवाचार”

गणतंत्र दिवस— 2012 के अवसर पर नवाचार विषय पर आधारित झांकी का प्रदर्शन किया जाना प्रस्तावित है। इस झांकी में निम्नांकित को दर्शाया गया है।

- 1) सेर सपाटा इकाई पर बना झूला पुल
- 2) झूला पुल के साथ क्रूज
- 3) सेर सपाटा में चलित टॉय ट्रेन
- 4) पर्यटकों के बैठने के लिए बनाया गया गजेबो (गोल छत्री नुमा शेड)

उपरोक्त झांकी के प्रदर्शन हेतु म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से श्री आर.पी.चौहान महाप्रबंधक (मुख्यालय) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिनका दूरभाष क्रंमाक— 9424796700 है।



पर्यटन

बस झांकी के पीछे चलेगी।